न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या — 114/2016 अपील (RCMS/2016/00041)
पंजीयन दिनांक — 08.11.2016
निर्णय दिनांक — 23.04.2019

1. श्रीमती गौतमी उर्फ **श्रीमती गौमती बाई** पुत्री श्री पोखरलाल पुरोहित ब्राह्मण जरिये मुख्तियार श्री सुरेशचन्द्र पिता श्री रमेशचन्द्र पालीवाल, निवासी–5, राहीनगर, इन्दौर (म०प्र०)।

–अपीलान्ट

बनाम

1. श्री बंशीलाल पिता श्री औंकारलाल पुरोहित ब्राह्मण, निवासी अरनिया जोशी, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़ मृतक के बजाय–

   1/1 श्री कैलाश पिता स्व. श्री बंशीलाल ब्राह्मण, निवासी 162, सांवरियानगर (छोटा बांगरडा), बांगरडा रोड, इन्दौर (म०प्र०)।

   1/2 श्री पारस पिता स्व. श्री बंशीलाल ब्राह्मण, निवासी 162, सांवरियानगर (छोटा बांगरडा), बांगरडा रोड, इन्दौर (म०प्र०)।

   1/3 श्री दिनेश पिता स्व. श्री बंशीलाल ब्राह्मण, निवासी 162, सांवरियानगर (छोटा बांगरडा), बांगरडा रोड, इन्दौर (म०प्र०)।

   1/4 श्री विकास पिता स्व. श्री बंशीलाल ब्राह्मण, निवासी 162, सांवरियानगर (छोटा बांगरडा), बांगरडा रोड,

   1/5 श्रीमती कंचन पत्नि श्री प्रकाश बणोरा, निवासी सुन्दरचा, तहसील व जिला राजसमन्द।

   1/6 श्रीमती गुणवन्ती उर्फ शारदा पत्नि श्री राजू जोशी, निवासी सुभाष चौक, पानी की टंकी (खुटाल कॉम्प्लेक्स के पास), इन्दौर (म०प्र०)।

   1/7 श्रीमती मोहनी उर्फ मना पत्नि श्री ललित जोशी, निवासी 43 न्यू दुर्गानगर, मरीमाता चौराहा, इन्दौर (म०प्र०)।

   1/8 श्रीमती अम्बा बाई पत्नि स्व. श्री बंशलाल पालीवाल, निवासी अरणिया जोशी, हाल मुकाम, 162, सांवरियानगर (छोटा बांगरडा), बांगरडा रोड, इन्दौर (म०प्र०)।

2. सरपंच ग्राम पंचायत अरनिया जोशी, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेन्टस्

उपस्थितिः–

1. श्री सम्पतलाल बोहरा — वकील अपीलान्ट
2. श्री संजय सेन — वकील रेस्पोडेंट संख्या–1/1 से 1/2

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या–10/2014, श्रीमती गौतमी बाई बनाम श्री बंशीलाल व अन्य में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.10.2016 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा–76 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 23.04.2019

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा द्वारा प्रकरण संख्या–10/2014, श्रीमती गौतमी बाई बनाम श्री बंशीलाल व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 05.10.2016 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है–

- अपीलार्थी द्वारा ग्राम पंचायत अरनिया जोशी द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या–205 दिनांक 25.11.1982 के विरूद्ध एक अपील धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम के उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा समक्ष प्रस्तुत की गई और कथन किया कि अपीलान्ट के पिता श्री पोखरलाल के तीन पुत्रियां भागीरथी, शशि एवं गौमती बाई हुई। मौजा अरनिया जोशी में श्री पोखरलाल की पुश्तैनी भूमि आराजी संख्या–22, 23/1, 24, 27, 43, 44, 45, 74, 130, 15 कुल रकबा 35 बीघा 11 बिस्वा जिसके नवीन नम्बर 43, 44, 49, 50, 130, 139, 142, 23, 3, 18, 22, 23/1, 24, 27, 45, 522/24, 561/82, 569/107, 231/2 स्थित है। उक्त आराजीयात में अपीलान्ट का जन्म से ही हित निहित है। अपीलान्ट के हक हिस्से व आधिपत्य की होने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत अरनिया जोशी के द्वारा पोखरलाल का विरासत का नामान्तरकरण संख्या–205 दिनांक 25.11.1982 श्री बंशीलाल के नाम दर्ज कर दिया जबकि नामान्तरकरण अपीलान्ट के नाम स्वीकृत किया जाना था। अपीलार्थी द्वारा विभिन्न बिन्दुओं पर कथन करते हुए नामान्तकरण संख्या–205 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

- अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को मयाद बाहर मानते हुए, अपर जिला न्यायाधीश संख्या–2, निम्बाहेडा के निर्णय दिनांक 19.09.2016 एवं श्रीमती गौमती की अनुपस्थिति में रेस्पाडेंट के कथनों का समर्थन करते हुए निर्णय दिनांक 05.10.2016 पारित कर अपील अपीलान्ट खारिज की।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.10.2016 के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील अपीलान्ट व वकील रेस्पोडेंट संख्या–1/1 व 1/2 उपस्थित, अन्य अनुपस्थित। उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 16.04.2019 को सुनी गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील एवं लिखित बहस में प्रस्तुत किया है कि प्रश्नगत प्रकरण में श्री पोखरलाल की मृत्यु उपरान्त अपीलान्ट को कोई सूचना दिया बिना सरपंच श्री ऊंकारलाल द्वारा अपने पुत्र श्री बंशीलाल को श्री पोखरलाल का गोदीना पुत्र बताकर पोखरलाल की जायदाद को अवैध तरिके से पाने की नियत से बंशीलाल के नाम नामान्तकरण स्वीकृत करा लिया। नामान्तरकरण से पूर्व अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं दी गई, उसका पक्ष नहीं सुना गया, न ही नोटिस जारी किया गया। नामान्तरकरण बिना कोरम के स्वीकृत करवा लिया गया। बंशीलाल के गोदी पुत्र होने के सम्बन्ध में कोई लिखित गोदीनामा नहीं लिखा गया, न ही कोई पंजीकृत गोदीनामा प्रस्तुत किया गया। राजस्व न्यायालय को गोद का बिन्दु तय करने का कोई अधिकार नहीं है तथा गोद के आधार पर उसका म्यूटेशन नहीं किया जा सकता है। उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने से पूर्व अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं दिये जाने यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है कि उसे इस प्रकार के अवैध नामान्तकरण की जानकारी हो। जैसे ही नामान्तरकरण की जानकारी हुए, नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपील प्रस्तुत करते समय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत मयाद अधिनियम का भी प्रस्तुत किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यों पर कोई विचार न कर मयाद प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर निर्णय पारित किया जो काबिल निरस्त है। इस मामलें में रेस्पोडेंट संख्या–1 द्वारा शशी और भागीरथी को अपने साथ मिलाकर अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपील से अपना नाम विलोपित करवा दिया। श्रीमती गौमती द्वारा अपने पुत्र श्री सुरेश के नाम पॉवर ऑफ एर्टोनी दिनांक 08.07.2016 को जारी की और उसे केस लडनें हेतु मुकर्रर किया जिसकी प्रति अपील के साथ संलग्न है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपर जिला न्यायाधीश संख्या–2, निम्बाहेडा के निर्णय दिनांक 19.09.2016 को भी आधार मानते हुए अपील अपीलान्ट को निरस्त की। उक्त निर्णय दिनांक 19.09.2016 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा अपर जिला न्यायाधीश संख्या–2, निम्बाहेडा समक्ष प्रार्थना पत्र आदेश नियम 09 नियम 13 दीवानी प्रकरण संहिता का पेश किया जिसे स्वीकार करते हुए न्यायालय के आदेश दिनांक 13.01.2016 स्वीकार कर उनके विरूद्ध उक्त एकतरफा निर्णय व डिक्री दिनांक 19.09.2016 को अपास्त की एवं मूल प्रकरण का पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदेश दिनांक 21.05.2018 को पारित किया। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने जिस निर्णय दिनांक 19.09.2016 को आधार बनाकर अपील निरस्त की वह निर्णय अपास्त हो चुका है।

इस मामलें में रेस्पोडेंट संख्या–2 सरपंच श्री ऊंकारलाल द्वारा नामान्तरकरण आदेश पर लिखा जाना था कि बंशीलाल मेरा जायन्दा पुत्र है, इस कारण नामान्तरकरण आदेश पारित नहीं किया जा सकता और पत्रावली तहसीलदार को स्थानान्तरित की जानी थी। परन्तु उसके द्वारा अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं देकर नामान्तरकण अपने पुत्र श्री बंशीलाल के नाम स्वीकृत कर दिया जो एबनिश्योवोईड होकर बिना अधिकार के है।

रेस्पोडेंट ने जानबूझकर दावा बाद में किया है क्योंकि वह जानता है कि अपील में कथित म्यूटेशन निरस्त हो जायेगा इस कारण अपील का पता चलते ही यह वाद पेश

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

किया गया तथा इस वाद में एकतरफा निर्णय व डिक्री अपास्त हो चुकी है। ऐसी स्थिति में म्यूटेशन निरस्त किया जाना आवश्यक है।

श्री बंशीलाल के कहे अनुसार उसे गोदी पुत्र लिया गया था अगर इस तथ्य को मान भी लिया जावे तो उसे अपने पिता सरपंच ऊंकारलाल के जायन्दा पैतृक हक का कोई अधिकार नहीं रहता है जबकि वह गोदिना पुत्र नहीं होने से ही उसे जायन्दा पिता का वारिस की हैसियत से पिता के स्वर्गवास के बाद जमीनें खाते हुई है तथा नामान्तरकरण की नकल वर्ष 2004 मे पेशी गई तब बंशीलाल ने बदनियतीपूर्वक अपने प्राकृतिक पिता ऊंकारलाल के हक व हिस्से से आयी पैतृक सम्पत्ति में अपने सम्पूर्ण हक व हिस्से का त्याग दिनांक 20.06.2014 को किया गया जिससे यह स्पष्ट होता है कि बंशीलाल कभी भी पोखर जी का गोदीना पुत्र नहीं रहा। बंशीलाल को गोदी पुत्र लिये जाने के सम्बन्ध में और बंशीलाल का नामान्तरकरण किस आधार पर किया गया उसके सम्बन्ध में जानकारी ग्राम पंचायत अरनिया जोशी से मांगी गयी जिस पर अपीलान्ट को जानकारी हुई कि इन्तकाल खोलने के लिए बंशीलाल द्वारा इसी तरह का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। साथ ही भागीरथी बाई एवं शशीबाई, गोमती बाई पुत्री पोखरलाल जी व टक्कूबाई बेवा पोखरलाल की सहमति रेकर्ड पर नहीं है, इससे स्पष्ट होता है कि बंशीलाल ने अपने जायन्दा पिता ऊंकारलाल जी जो तत्कालीन सरपंच थे, के पद का नाजायज फायदा उठाकर यह बिना किसी दस्तावेजी आधार के नामान्तरकरण करवाया जो खारिज किए जाने योग्य है, साक्ष्य में ग्राम पंचायत अरनिया जोशी द्वारा जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। श्री बंशीलाल के नाम एक एफआईआर संख्या–5/2016 में उसके विरूद्ध चालान प्रस्तुत किया जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह भी माना गया कि बंशीलाल द्वारा समय समय पर अपने पिता के नाम को स्वयं की सहूलियत के हिसाब से बदला गया है। इनसे यह सिद्ध होता है कि श्री बंशीलाल श्री पोखरलाल का कभी भी गोदपुत्र नहीं था और उसके नाम स्वीकृत नामान्तरकरण पूर्णतया अवैध है। ऐसी स्थिति में उक्त नामान्तरकरण एवं अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय दिनांक 05.10.2016 अपास्त किया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावें और नामान्तकरण अपीलान्ट के पक्ष में स्वीकृत कराये जाने का आदेश प्रदान करावें। अपने कथन के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा न्यायिक दृष्टांत (RRD 1985 P. 99, RRD 1984 P. 174, RLW 1997 (1) Raj P. 226, RBJ (7) 2000 P. 546) प्रस्तुत किए।

विद्वान वकील रेस्पोडेंट संख्या–1/1 से 1/2 ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कथनों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है कि अपीलान्ट की अन्य दोनों बहनों ने अधीनस्थ न्यायालय समक्ष यह तथ्य स्वीकार किया है कि उन्होनें कभी भी श्री सुरेश के नाम मुख्तियार नामा निष्पादित नही किया जिससे उनके समक्ष प्रस्तुत अपील विड्रो की जावें और उनका आवेदन स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उनके नाम अपील से विलोपित किए गए। दोनों बहनों से यह भी माना है कि बंशीलाल को समस्त रितीरिवाजों से गोदपुत्र माना गया है और उक्त जमीन पर उसका कब्जा है। अधीनस्थ न्यायालय समक्ष श्री गौतमी उर्फ गौमती कभी भी उपस्थित नहीं हुई जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह माना गया कि पांवर ऑफ एर्टोनी जारी नहीं की गई। ऐसी स्थिति में ग्राम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पंचायत अरनिया जोशी द्वारा बंशीलाल को बहैसियत गोदीपुत्र मानकर निर्णिय किया गया नामान्तरकरण बिल्कुल सही है। पोखरलाल की तीनों पुत्रियों को इसकी पूर्ण जानकारी थी और तत्समय उनके द्वारा कोई विरोध नहीं किया गया, जिससे भी उनकी सहमति प्रतीत होती है। फिर भी अपीलान्ट द्वारा 32 वर्षो उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय समक्ष मयाद बाहर अपील पेश की गई और अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 मयाद अधिनियम का निरस्त किया गया। उक्त भूमि के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या–2, निम्बाहेडा में वाद संख्या–19/2015 में निर्णय दिनांक 19.09.2016 को पारित किया जिसमें श्री बंशीलाल को श्री पोखर जी गोदीपुत्र घोषित किया है। हालांकि उक्त निर्णय दिनांक 19.09.2016 माननीय अपर जिला न्यायाधीश संख्या–2, निम्बाहेडा द्वारा अपास्त किया जाकर मूल प्रकरण पुनः दर्ज करने का आदेश दिनांक 21.05.2018 को पारित किया अतः मूल प्रकरण रिस्टोर होकर विचाराधीन है। प्रश्नगत प्रकरण में दौराने अपीलीय प्रक्रिया विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 का पेश कर दस्तावेज प्रस्तुत किए है परन्तु प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए गए है ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र मान्य नहीं है। प्रश्नगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में समस्त तथ्यों पर विचार करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है, ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट निरस्त करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावें। अपने कथन के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या–1/1 व 1/2 द्वारा न्यायिक दृष्टांत (RRT 2016(2) P. 1139, RRT 2009(1) P. 488, RRT 2018 (2) P. 1026) प्रस्तुत किए।

हमने उपस्थित अधिवक्ताओं की लिखित एवं मौखिक बहस व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों पर ससम्मान मनन किया तथा पत्रावलियों पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से एवं सावधानीपूर्वक अध्ययन किया।

जहां तक अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपीलार्थी द्वारा अपील 32 वर्ष उपरान्त प्रस्तुत करने का प्रश्न है, जिस पर अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या–1/1 व 1/2 द्वारा भी आपत्ति प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्यों के विश्लेषण से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि नामान्तरकरण संख्या 205 पारित किये जाने समय एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील अपीलार्थी निरस्त किये जाने दौरान, कई महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विचार नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में इस निर्णय के आगे के पेरा में विस्तृत विवेचन भी किया है, जो प्रासंगिक बिन्दु से सुसंगत है। माननीय सर्वोच्य न्यायालय एवं राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह सिद्वान्त प्रतिप्रादित किया है कि देरी माफी के लिये लचीला रूख रखा जाना चाहिए। सर्वोच्य न्यायालय ने यह भी कहा है कि देरी को माफ नहीं करने से कई महत्वपूर्ण बिन्दु न्याय से वंचित हो जाते है। ऐसी स्थिति में मामला गुणावगुण पर विचारण योग्य होने से एवं सुलभ न्याय के सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान को तकनीकी आधार पर न्याय से वंचित किया जाना उचित नहीं है। इस प्रकार से यह भी नहीं कहा जा सकता है कि अपीलान्ट द्वारा जानबुझकर देरी की। ऐसी स्थिति में उक्त अपील की मियाद को माफ किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है और प्रकरण का गुणावगुण पर विनिश्चय करना उचित हैं।

वकील अपीलान्ट द्वारा दौराने अपीलीय प्रक्रिया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा–151 जा.दी. का प्रस्तुत कर दस्तावेज पेश किये जिस पर अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या–1/1 व 1/2 द्वारा आपत्ति जाहिर की। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा ग्राम पंचायत अरनिया जोशी द्वारा सूचना के अधिकार अन्तर्गत जारी पत्र, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेश की प्रति, अपर जिला न्यायाधीश संख्या–2, निम्बाहेडा के आदेश की प्रतियां प्रस्तुत की है, जो प्रश्नगत प्रकरण से सम्बन्धित होने से न्यायहित में प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा–151 जा.दी. स्वीकार योग्य है एवं उक्त दस्तावेज न्यायालय के आदेशों की प्रतियां होने से उनकी सत्यता पर प्रश्न करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

मौजा अरनिया जोशी में श्री पोखरलाल की पुश्तैनी भूमि आराजी संख्या–22, 23/1, 24, 27, 43, 44, 45, 74, 130, 15 कुल रकबा 35 बीघा 11 बिस्वा जिसके नवीन नम्बर 43, 44, 49, 50, 130, 139, 142, 23, 3, 18, 22, 23/1, 24, 27, 45, 522/24, 561/82, 569/107, 231/2 स्थित है। उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत अरनिया जोशी के द्वारा पोखरलाल का विरासत का नामान्तरकरण संख्या–205 दिनांक 25.11.1982 श्री बंशीलाल के नाम गोद पुत्र की हैसियत से दर्ज कर दिया। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृति से पूर्व सम्पत्ति के अर्जन एवं पोखरलाल के विधिक वारिसान के सम्बन्ध में कोई जांच नहीं की गई। न ही अपीलान्ट व अन्य को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया गया। अपने कथन के समर्थन में अपीलान्ट की ओर से ग्राम पंचायत अरनिया जोशी द्वारा जारी पत्र दिनांक 29.09.2015 भी प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार भागीरथी, शशि, गोमती बाई को इन्तकाल से पूर्व या इनके सहमति के विषय में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। पंचायत कोरम 30.11.1982 में नामान्तरकरण संख्या–205 से सम्बन्धित कोई विवरण अंकित नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी नहीं होना स्वाभाविक है। ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने से पूर्व विधिक प्रक्रियाओं का अनुसरण नहीं किया जाना प्रतीत होता है, ऐसी स्थिति में आलौच्य नामान्तरकरण विधि सम्मत प्रतीत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा द्वारा उपरोक्त तथ्यों के सम्बन्ध में कोई जांच नहीं की गई, जो विधि अनुरूप प्रतीत नहीं होता है।

उक्त भूमि के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या–2, निम्बाहेडा में वाद संख्या–19/2015 में निर्णय दिनांक 19.09.2016 को पारित किया जिसमें श्री बंशीलाल को श्री पोखर जी गोदीपुत्र घोषित किया है। उक्त निर्णय दिनांक 19.09.2016 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा अपर जिला न्यायाधीश संख्या–2, निम्बाहेडा समक्ष प्रार्थना पत्र आदेश नियम 09 नियम 13 दीवानी प्रकरण संहिता का पेश किया जिसे स्वीकार करते हुए न्यायालय के आदेश दिनांक 13.01.2016 स्वीकार कर उनके विरूद्ध उक्त एकतरफा निर्णय व डिक्री दिनांक 19.09.2016 को अपास्त की एवं मूल प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदेश दिनांक 21.05.2018 को पारित किया। अतः मूल प्रकरण रिस्टोर होकर वर्तमान में विचाराधीन है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दौराने अपील, उपस्थिति अधिवक्ताओं द्वारा श्री बंशीलाल के गोदीपुत्र होने के सम्बन्ध में अपने तर्क प्रस्तुत किए एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध दस्तावेजों की ओर ध्यान आकृष्ट किये जिनके अवलोकन से तथ्यों में विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होती हैं।

उपरोक्त परिस्थितियों एवं विवेचन से यह प्रतीत होता है कि निर्णय दिनांक 05.10.2016 पारित किये जाने के समय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का परिक्षण एवं उपरोक्त तथ्यों पर पूर्णतया विचार नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में हम अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन कर, अपर जिला न्यायाधीश संख्या–2, निम्बाहेडा समक्ष लम्बित प्रकरण की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा का निर्णय दिनांक 05.10.2016 निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में पक्षकारों को उचित एवं पर्याप्त सुनवाई का अवसर प्रदान कर, अपर जिला न्यायाधीश संख्या–2, निम्बाहेडा समक्ष लम्बित प्रकरण की वर्तमान स्थिति के मद्देनजर एवं तथ्यों की जांच करा नियमानुसार नये सिरे से निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 23.04.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official